

झारखण्ड सरकार
योजना-सह-वित्त विभाग

राँची, दिनांक : 11/12/2019

प्रेषक,

साधना सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2020-21 के स्थापना व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 का पुनरीक्षित बजट की समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में ।


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के स्थापना व्यय का बजट प्राक्कलन तथा 2019-20 के पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन सम्बन्धी समीक्षात्मक बैठकें संलग्न कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित की गई है ।

अतः अनुरोध है कि स्थापना व्यय में Online COBT, जो आपके द्वारा Upload किये गये हैं, का Online Print तथा पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन 2019-20 के साथ अपने विभाग के बजट प्रभारी को समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने का आदेश देने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

विश्वासभाजन,


(साधना सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 का स्थापना व्यय तथा 2019-20 के पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन की समीक्षा बैठक का कार्यक्रम । (स्थान - बजट शाखा, योजना सह वित्त विभाग, प्रोजेक्ट भवन)

क्र० सं०	तिथि	समय	मांग संख्या	सम्बन्धित विभाग
1	16.12.2019 सोमवार	पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 12.00 बजे तक	4, 5, 7, 31	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
2		12.30 बजे से 01.00 बजे तक अपराह्न	6	मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग
3		01.00 बजे से 02.00 बजे तक अपराह्न	33, 34, 37	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग
4		03.00 बजे से 06.00 बजे तक अपराह्न	22, 39	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
5	17.12.2019 मंगलवार	पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 01.30 बजे तक	1, 2, 9, 53, 54	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
6		03.00 बजे से 04.00 बजे तक अपराह्न	38, 40	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
7		04.00 बजे से 05.00 बजे तक अपराह्न	10	ऊर्जा विभाग
8		05.00 बजे से 06.00 बजे तक अपराह्न	45	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स विभाग
9	18.12.2019 बुधवार	10.30 बजे से 11.00 बजे तक पूर्वाह्न	41	पथ निर्माण विभाग
10		11.00 बजे से 11.30 बजे तक पूर्वाह्न	3	भवन निर्माण विभाग
11		पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक	48, 57	नगर विकास एवं आवास विभाग
12		12.30 बजे से 01.00 बजे तक अपराह्न	27, 28	विधि विभाग
13		01.00 बजे से 02.00 बजे तक अपराह्न	30, 51	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
14		03.00 बजे से 04.00 बजे तक अपराह्न	29	खान एवं भू-तत्व विभाग
15		04.00 बजे से 06.00 बजे तक अपराह्न	42, 55, 56	ग्रामीण विकास विभाग
16	19.12.2019 गुरुवार	पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 12.00 बजे तक	44, 58, 59	स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
17		12.00 बजे से 01.00 बजे तक अपराह्न	60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा
18		01.00 बजे से 02.00 बजे तक अपराह्न	18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
19		03.00 बजे से 03.45 बजे तक अपराह्न	36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
20		03.45 बजे से 05.00 बजे तक अपराह्न	49, 50	जल संसाधन विभाग
21	20.12.2019 शुक्रवार	पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 12.00 बजे तक	12, 13, 14, 15, 16, 25, 35	योजना-सह-वित्त विभाग
22		12.00 बजे से 01.00 बजे तक अपराह्न	32	विधान सभा
23		03.00 बजे से 04.00 बजे तक अपराह्न	21, 43	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
24		04.00 बजे से 06.00 बजे तक अपराह्न	20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
25	23.12.2019 सोमवार	पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 12.00 बजे तक	26	श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
26		12.00 बजे से 02.00 बजे तक अपराह्न	46, 52	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
27		03.00 बजे से 04.00 बजे तक अपराह्न	23	उद्योग विभाग
28		04.00 बजे से 06.00 बजे तक अपराह्न	19	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
29	24.12.2019 मंगलवार	10.30 बजे से 11.30 बजे तक पूर्वाह्न	8, 47	परिवहन विभाग
30		पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक	24	सूचना एवं जन संपर्क विभाग
31		12.30 बजे से 02.00 बजे तक अपराह्न	17	वाणिज्य कर विभाग
32		03.00 बजे से 04.00 बजे तक अपराह्न	11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग